

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
413/2024

दायर दिनांक
08.07.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
15.07.2024

1. कंकु पुत्री शंकर ब्राह्मण निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. नन्दराम पिता शंकर ब्राह्मण निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पत्नी शंकर ब्राह्मण निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजु लाल पिता छीतर शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. सुखदेव पिता माधु लाल शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. रामप्रसाद पिता लालु शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. पदुम पिता रतन शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. जसोदा पिता हरिओम शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. सीता राम पिता मुलचन्द शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. जगदीश पिता लालु शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. काना पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. मोहन लाल पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी महुआखुर्द तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी के0 के0 जीनगर

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा महुआखुर्द प0ह0 महुआखुर्द भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 265 की अभिलिखित आराजियात 165/3, 168/3, 56, 57, 765/1 कुल किता 05 कुल रकबा 0.7967 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा महुआखुर्द प0ह0 महुआखुर्द भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 265 की अभिलिखित आराजियात 165/3, 168/3, 56, 57, 765/1 कुल किता 05 कुल रकबा 0.7967 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आकाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा